

# फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला अलवर

गुरुप्रीत सिंह


बनाम

दयाल सिंह

किस्म मुकदमा दावा

न 1/5/2020

पान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	समय व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p><u>14-2-20</u></p> <p>आज यह प्राप्यवादी गुरुप्रीत सिंह पुत्र दयाल सिंह नाबालिग जय सरप्रस्त माता बुद्ध देवीन्द्रकौर पत्नी दयाल सिंह भिवासी- ललाकंडी ने न्यायालय में पेश कले पर पत्रावली नलब की गई प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया की वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमती से राखीनामा हो गया है। इसलिए वाद को अग्रे नहीं चलाना चाहते। Not press में वाद खारिज किया जावे प्रार्थना पत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर कार्रवाई दफतर ले।</p> <p style="text-align: right;">                       जप स्वण्ड अधिकारी                      रामगढ़ (अलवर)                 </p>	<p>Not press</p> <p>दीपेन्द्र कौर</p> <p>Deepal Singh</p> <p>14.2.20</p>